न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 131/2022

उनवान

1. हनुमान पुत्र भारमल
2. पोलू पुत्र भारमल जाति जाट निवासी ग्राम जसवंतपुरा, तहसील– नसीराबाद, अजमेर

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत सिंह

बनाम

1 मनसुख,
2. राधेश्याम,
3. छोटूलाल, पि0 भंवरलाल,
4. रामप्यारी पत्नी गणपतलाल
5. सोहनीबाई पुत्री भंवरलाल, समस्त जाति ब्राहुण नि0 रामपुरा हनु0, नसीराबाद,
6. मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लोहरवाडा, जिला अजमेर
7. उप पंजीयक, नसीराबाद,
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

– अप्रार्थीगण :–1 से 6 अनुपस्थित,
7 व 8 जरियें तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधि0 1955, सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 19.12.23

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प0म0 रामपुरा हनुवतिंया की निम्न आराजी वादीगण की कयशुदा खातेदारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1494	3–10–0	1833	0.57

उक्त आराजी वंर्किग खसरा नम्बर 1494 रकबा 3–10–0 के तत्कालीन खातेदार भंवरलाल पुत्र काना जाति ब्राहमण ने दिनांक [illegible].12.1978 को वादीगण को जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र बैचान कर कब्जा संभला दिया था। विक्रेता भंवरलाल [illegible] की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ही है [illegible] उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी [illegible] नम्बर 1833 रकबा 0.57 को विक्रय पत्र की पालना में वादीगण के [illegible] दर्ज करने के बजाय [illegible] अधिकारियों ने त्रुटिपूर्ण तरीके से विक्रेता के वारिसान के [illegible] हाल राजस्व अभिलेख

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:29:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कर दिया। जिस कारण प्रतिवादीगण ने आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी करना आरम्भ कर दिया तथा आराजी मुतनाजा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार विक्रय पत्र अनुसार वादीगण को घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रकरण में अनपुस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादीगण अपना वाद स्वयं सिद्व करे। प्रकरण में वाद के तथ्यों का कोई खण्डन नही होने के कारण कोई तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज0पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। वंर्किग खसरा नम्बर 1494 रकबा 3–10–0 वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 67 में भवंरलाल पुत्र काना के नाम खातेदारी दर्ज है। तत्कालीन खातेदार भवंरलाल पुत्र काना ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र उक्त आराजी वादीगण को दिनांक 20.12.1978 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था। विक्रेता भंवरलाल पुत्र काना की मृत्यु होने के कारण नामान्तकरण संख्या 202 दिनांक 5.12.2003 से उक्त आराजी जरिये विरासत प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज की गयी। तत्कालीन खातेदार ने भूमि के बदले प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली है। पंजीकृत दस्तावेज की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता। उक्त दस्तावेज सक्षम न्यायालय से निरस्त नही किया गया है। उक्तानुसार धारा 63 राज0 काश्त0 अधि0 1955 के तहत विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। तत्कालीन खातेदार द्वारा बैचान के पश्चात उनका उक्त सम्पदा पर कोई हक व अधिकार शेष नही रहता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वादीगण आराजी मुतनाजा के विधिवत क्रेता सिद्व होते है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर विक्रय पत्र की पालना में वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से विक्रेता/वारिस के नाम दर्ज कर दिया जबकि तत्कालीन खातेदार द्वारा आराजी मुतनाजा विक्रय करने के कारण हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख दर्ज करनी चाहिये थी। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा भी अन्य खातेदारी आराजी के साथ आराजी मुतनाजा पर भी प्रतिवादीगण को ण दे दिया तथा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के नामएरहन दर्ज है। किन्तु उक्त आराजी वादीगण की विधिक कयशुदा होने के कारण प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में दर्ज रहन का अंकन वादीगण के हितों पर अप्रभावी है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र से वाद के तथ्यों की ताईद होती है।

अतः ग्राम रामपुरा हनुवतिंया के खसरा नम्बर 1833 रकबा 0.57 पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:29:49 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हनुमान बनाम मनसुख

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 131/2022
पेश करने की दिनांक – 09.09.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रणजीत सिंह मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रामपुरा हनुवतिंया के खसरा नम्बर 1833 रकबा 0.57 पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19 माह 12 सन् 2023 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:29:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद